राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(44)/ग्राविवि – 5/पीएमएवाई/मोनी–1/मीटिग/2016–17 जयपुर, दि. 21 जून, 2016

::विडियों कान्फ्रेसिंग कार्यवाही विवरण::

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंव योजना प्रभारी (आवास) के साथ विडियों कान्फ्रेसिंग द्वारा दिनांक 28.06.2016 को आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के पात्र परिवारों की वरीयता सूचीं को आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने एवं अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के सम्बंध में चर्चा की गई।

विडियों कान्फ्रेसिंग के दौरान अधीक्षण अभियंता ग्राविं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के शुभारंभ से पूर्व की जाने वाली आवश्यक तैयारियों, वरीयता सूची अपलोड करने की प्रगति, गत वर्षों के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु अभियान के रूप में पूर्ण करवाने के सम्बंध में जानकारी दी गई। चर्चा उपरान्त शासन सचिव महोदय ग्राविं, द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये गये:–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों की वरीयता सूचियों को 30 जून 2016 तक आवास साफ्ट पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिया जावें।
2. वर्ष 2016–17 में वर्ष 2015–16 के लक्ष्यों से 150% लक्ष्य मानते हुए नवीन आवासों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर 10 लाभार्थियों पर एक टैग अधिकारी नियुक्त कर लाभार्थियों की कार्यशाला आयोजित की जावे। कार्यशाला में योजना की जानकारी देते हुए, स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर फार्म तैयार कर पंजीयन किया जावे, ताकि भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होते ही स्वीकृतियॉ जारी की जा सके।
3. प्रथत किश्त हस्तानान्तरण से पूर्व महात्मा गॉधी नरेगा योजना से मस्टरोल जारी की जावे, जिससे लाभार्थी नीव खुदाई का कार्य शुरू कर सके। लाभार्थी द्वारा कार्य शुरू करने के उपरान्त ही प्रथम किश्त हस्तानान्तरित की जावें। यदि लाभार्थी को लगातार दो पखवाडे की मस्टरोल जारी करने के उपरान्त भी कार्य शुरू नही किया जाता है तो उसे प्रथम किश्त हस्तानान्तरित नही की जावे। ऐसे लाभार्थियों की स्वीकृति निरस्ती की कार्यवाही की जावें।
4. अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु कार्ययोजनानुसार माह जुलाई में विशेष अभियान संचालित करवाने के निर्देश दिये गये। अभियान के दौरान जिला स्तर से सघन मॉनिटरिंग की जावे। विशेष अभियान से सम्बधिंत पॉवर पोईन्ट प्रजेन्टेशन पर चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि प्रति 10 आवास हेतु टैग अधिकारी की नियुक्ति कर विभाग को पंचायत समितिवार लाभार्थीवार नियुक्त किये गये टैग अधिकारियों का नाम व मोबाईल नम्बर साफ्ट कापी (Excel File) में विभाग को 7 दिवस में भिजवाये।
5. आवास हेतु नियुक्त टैग अधिकारी यदि राजकीय कर्मचारी/अधिकारी है तो देय किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र टैग अधिकारी के सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ही किश्त भुगतान कर दिया जावे लेकिन यदि टैग अधिकारी राजकीय कर्मचारी/अधिकारी नही है तो यथावत ग्राम सेवक के द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपरान्त ही किश्त का भुगतान किया जावें।
6. सभी आवासों की आवासएप के माध्यम से **"जीयो टैग"** फोटों अपलोड की जावें। इस कम में आवासों की संख्या के अनुसार यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार जॉब आउट सोर्सिग पर भी कराया जा सकता हैं।

गतवर्षो में स्वीकृत आवासों का पीएफएमएस से भुगतान के कम में आवाससाफ्ट पर आ रही समस्याओं के निराकरण बाबत NIC, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला उदयपुर मुख्यालय पर दिनांक 1 जुलाई 2016 को आयोजित कार्यशाला में आवाससाफ्ट सम्बंधित MIS /कार्मिकों को, आ रही समस्याओं के विवरण के साथ भाग लेने सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे कार्यशाला के दौरान समस्यायों का निराकरण करवाया जावें।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गई।

(के. के. शर्मा) 29/6
अधीक्षण अभियन्ता (ग्राविं)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविं एंव पंराविं।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), को वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्राविं)